Impact Factor (QJIF): 8.38 E-ISSN: 2583-7206, P-ISSN: 3049-2432

International Journal of All Subject Research

Received: 26/November/2025 IJASR: 2026; 5(1):23-25 Accepted: 13/January/2026

महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का योगदान (नरसिंहपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

[*1]दिनेश कुमार दुबे

[*1]सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदारी है वहीं मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरूषों के विरूद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है। उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ''मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना'' लागू किये जाने की घोषणा की गई। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रारम्भ में प्रतिमाह 1250 रूपए दिए गए। वर्तमान में इस राशि में वृद्धि कर 1500 रू. कर दी गयी हैं। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र हुई हैं। महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित कर रही हैं वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। उक्त योजनातंर्गत मध्यप्रदेश में 1.31 करोड़ महिलाओं ने पंजीयन किया गया था जिसमें से 1.29 करोड़ महिलायें योजना हेतु पात्र पायीं गईं।

मुख्य शब्द: आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक सहायता, स्वावलम्बन।

प्रस्तावना

शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निश्चित किये गये मापदण्ड, नियम व प्रावधान हितग्राहियों पर लागू होने पर ही (पात्र होने पर ही) योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। योजनाओं का उद्भव स्वतंत्र भारत में सन् 1950 के पश्चात् हुआ। लेकिन भारत के निर्माताओं ने जनसंख्या के सर्वांगीण विकास हेतु संविधान के रूप में विकास का ताना-बाना सन् 1947-1950 में ही बुन लिया गया था। कामकाजी महिलाओं के प्रति परिवार, समाज के लोगों के नजरिये में परिवर्तन आया है। परिवार काम-काजी पुत्री, बहिन, पत्नी, माता पर नाज महसूस करता है। आज काम-काजी लड़कियाँ विवाह योग्य लड़कों के लिए पहली पसंद मानी जाती हैं। साक्षर, शिक्षित, प्रशिक्षित महिलायें अपनी राह बनाने चल पड़ी हैं, और निरक्षरों में भी जागरूकता आ रही है। इनकी सोच और आकांक्षायें उनके सपने और लक्ष्य मुख्य धारा से जुड़ने को आतुर हैं। इस कार्य में परिवार के लोग बेटी, बहिन, पुत्रवधु, पत्नी को प्रोत्साहित कर आवश्यक सहयोग, सुविधायें, प्रसन्नता, उत्साह, गर्व के साथ मुहैया करा रहे हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को इस दृष्टिकोण का अंग माना जा सकता है। वर्ष 2023 से प्रारम्भ की गयी इस योजना के माध्यम से महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता से अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया है।

नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2024 की स्थिति में 2 लाख 13 हजार 392 महिलायें मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत हैं जिनके बैंक खातों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक में राशि हस्तांतरित की जाती है।

शोध प्रविधि (Methodology)

शोध प्रविधियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष, समंको की शुद्धता, शोध प्रविधियों का प्रयोग नमूनार्थ इकाईयों जिनसे आंकड़े प्राप्त किये जाने है उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की विश्वसनीयता शोध तकनीकों के प्रयोग की सीमाएं एवं इस क्षेत्र में होने वाले आगामी शोधों से यह शोध सीमित होने की स्थिति में होगा। नमूना

***Corresponding Author:** दिनेश कुमार दुबे

सर्वेक्षणों में निहित पक्षपात पूर्ण प्रतिक्रियाओं और विचारों पर क्षेत्रीय प्रभावों की संभावना से बचा नहीं जा सकता है। इस शोध पत्र में नरसिंहपुर जिले की महिलाओं को मिलने वाली मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि से उनके जीवन में आये परिवर्तन के अध्ययन को विश्लेषित किया गया है। उक्त विश्लेषण में प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों का सहयोग लेकर अध्ययन क्षेत्र जिला नरसिंहपुर की 5 तहसीलों की महिलाओं को प्राप्त होने वाली मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का उनके आर्थिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्रता/अप्रात्रता की शर्तें-

पात्रता की प्रमुख शर्तें-

- **मूल निवासी:** महिला मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
- **वैवाहिक स्थिति:** महिला विवाहित हो, या परित्यक्ता/विधवा/तलाकशुदा हो।
- **आयु सीमा:** आवेदन के वर्ष के 1 जनवरी को उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- **आय सीमा:** परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय 2.5 लाख रू. से कम होनी चाहिए।
- **भूमि सीमा:** परिवार के पास संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- **बैंक और आधार:** आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता (DBT सक्षम) होना चाहिए।

अपात्रता की प्रमुख शर्तें-

- जिसके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता (Income Tax Payee) हो।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग/मंडल/उपक्रम/स्थानीय निकाय में नियमित/संविदा कर्मचारी हो या पेंशन पा रहा हो।
- महिला स्वयं या परिवार का सदस्य सांसद/विधायक हो।
- परिवार में किसी के पास 4 पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो।
- महिला पहले से किसी अन्य योजना के माध्यम से 1250 रू. या उससे अधिक की राशि पा रही हो।

महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक मूल्यांकन -

महिला का मूल्यांकन करना कठिन है, क्योंकि उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया को कहाँ से प्रारम्भ करें व कहाँ पर अंत करें ? उसके कौन से कार्य को महत्वपूर्ण मांने ? किसे महत्वहीन समझें ? क्या आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करना पर्याप्त रहेगा ? महिला की कार्यात्मक दिनचर्या सुबह चार बजे से प्रारम्भ होकर रात के बारह बजे के पश्चात् तक चलती रहती है। अधिकांश महिलायें 20 घंटे तक कार्य करती हैं। काम-काजी महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, एक गृहणी और दूसरी काम-काजी, दोनों ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। वह व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का हिस्सा, विदुषी, उपदेशक, उद्योगपति अथवा मजदूर हो, उसे परिवार, पति, संतान की प्राय: चिंता रहती है। इस परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम घरेलू महिला है, जिसका वह पहले निर्वाहन करेगी। महिला दोनों भूमिकाओं का सर्तकता, कर्मठता, कार्यकुशलता के साथ निर्वहन करती हैं।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के संचालन के पूर्व खासतौर पर गृहणी महिलाओं को केवल परिवार के मुखिया की आय पर ही निर्भर रहना पड़ता था। परिवार का मुखिया के रूप में पति या परिवार के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं। महिलाओं को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए मन-मसोस कर रहना पड़ता था। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति छोटी-छोटी बचत कर पूरा करने का प्रयास करती थीं। किन्तु उक्त योजना के प्रारम्भ होने के पश्चात् उन्हें राज्य शासन द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करने से अब महिलाओं में आर्थिक निर्भरता बढ़ी है। उक्त योजना का तहसीलवार लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन निम्न सारिणी में किया जा रहा है।

सारणी 1: नरसिंहपुर जिले की तहसीलवार जनसंख्या (वर्ष 2011)

तहसील	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत
Gadarwara	421323	220564	200759	47.65%
Gotegaon	196129	101880	94,249	48.05%
Kareli	160160	83,249	76,911	48.02%
Tentukheda	94919	49,483	45,436	47.87%
Narsinghpur	219323	113634	105689	48.19%
कुल जनसंख्या	1091854	568,810	523,044	47.90%

स्रोत: *https://censusindia.gov.in/census.website/node/481#*

उपरोक्त तालिका में नरसिंहपुर जिले की 5 तहसीलों की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार जनसंख्या का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें गाडरवारा तहसील में महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत 47.65, गोटेगांव में 48.05%, करेली में 48.02%, तेंदूखेड़ा में 47.87% एवं तहसील नरसिंहपुर में 48.19% प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार जिले की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.90 है।

उपयुक्त विश्लेषण के उपरांत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हेतु पात्र पायी गयी महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है की संख्या तहसीलवार निम्न सारिणी में प्रस्तुत है।

सारणी 2: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं की संख्या (तहसीलवार)

तहसील	महिला	लाड़ली बहना हेतु पात्र महिलाओं की संख्या	लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत
Gadarwara	200759	53781	26.79%
Gotegaon	94,249	37,511	39.80%
Kareli	76,911	21,459	27.90%
Tentukheda	45,436	22,784	50.15%
Narsinghpur	105689	77857	73.67%
कुल योग	523,044	213,392	40.80%

स्रोत: *उप संचालक, महिला एवं बाल विकास नरसिंहपुर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ।*

उपर्युक्त तालिका में दर्शित आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं में से 26.70 प्रतिशत महिलायें पात्र हैं। गोटेगांव तहसील अंतर्गत 39.80 प्रतिशत महिलायें पात्रता की श्रेणी में है। इसी प्रकार करेली तहसील में 27.90 प्रतिशत महिलायें पात्र पायी गयी हैं। तेंदूखेड़ा तहसील अंतर्गत 50.15 प्रतिशत महिलायें पात्र हैं तथा नरसिंहपुर तहसील में सबसे अधिक 73.67 प्रतिशत महिलायें उक्त योजना हेतु पात्रता की श्रेणी में है जिन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

यद्यपि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजनांतर्गत महिलाओं के पंजीयन की प्रक्रिया नियमित रूप से प्रारम्भ हैं अत: जिन महिलाओं के आवेदनों पर तकनीकी कारणों आपत्ति लगाकर अपात्र घोषित किया गया है उनके द्वारा आपत्ति का निराकरण कर तहसील स्तर पर

नियुक्त पदाधिकारियों के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही नवीन महिला आवेदकों से भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अत: उपरोक्तानुसार तालिका में दर्शित आंकड़ों में परिवर्तन होने की संभावना है।

निष्कर्ष (Conclusion)

महिलाओं के आर्थिक विकास में राज्य सरकार की योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार अपने कानूनों, योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से जनता के सम्पूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अंतर्गत महिला-पुरुष, बालक-बालिका, वृद्ध-जवान, शहरी-ग्रामीण, गरीब-अमीर, शिक्षित-निरक्षर, समस्त जाति वर्ग के लोग सम्मिलित रहते हैं। विकास हेतु योजनायें, नियम, कानून, कार्यक्रम परस्पर संबंधित, सहयोगी सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि सभी का समवेत लक्ष्य विकास करना है। राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राज्य शासन द्वारा क्रियान्वित हितग्राहीमूलक योजनाओं के माध्यम अध्ययन क्षेत्र नरसिंहपुर जिले की महिलाओं के लिये समान रूप से विकास के द्वार खोल दिये है, उनमें आर्थिक स्वावलम्बन व स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता में विकास हुआ है साथ ही महिलायें आत्मनिर्भर हुई हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह, डॉ. अमिता (2009), लिंग एवं समाज, विकास प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. आगे आयें लाभ उठायें, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. उप संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. https://censusindia.gov.in/census.website/node/481#
5. https://cmladlibahna.mp.gov.in/